भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 635
उत्तर देने की तारीख 23 जुलाई, 2026
1 श्रावण, 1948 (शक)

खेल संघों में भ्रष्टाचार के मामले

635# श्री नीरज डांगी:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई खेल संघों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, जिनसे योग्य कोच, खिलाड़ी और अन्य कर्मचारी उचित अवसरों से वंचित रह गए हैं, और यदि हाँ, तो इसमें लिप्त अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) देश भर के खेल संघों में प्रशासनिक खामियों और निधियों के दुरुपयोग की रिपोर्टों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और राष्ट्रीय खेल संघों की स्वायत्तता से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार की क्या नीति है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग) : खेल परिसंघ पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा किसी राज्य के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत, अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत, अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अथवा किसी राज्य के न्यास अधिनियम के अंतर्गत स्वायत्त निकाय पंजीकृत हैं तथा उनकी कार्यप्रणाली उनपर लागू संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होती है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल परिसंघों को खेलों के संवर्धन और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को मान्यता प्रदान करने हेतु निर्धारित मानदंडों के अनुसार मान्यता प्रदान की जाती है।

मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ मूलभूत और प्रमुख सिद्धांतों जैसे कि राष्ट्रीय खेल परिसंघों के पदाधिकारियों के संबंध में आयु और कार्यकाल संबंधी प्रतिबंध, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन, खिलाड़ियों के हितों का संरक्षण, खिलाड़ियों का निष्पक्ष

और पारदर्शी तरीके से चयन आदि का पालन करें। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल परिसंघों को अपनी मान्यता वर्ष-दर-वर्ष बनाए रखने के लिए खेल संहिता के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाता है। जहां कहीं भी इस प्रकार के किसी उल्लंघन का पता चलता है, वहां निलंबन, वार्षिक मान्यता का नवीनीकरण न करना तथा मान्यता वापस लेना सहित आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुदानों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया है, राष्ट्रीय खेल परिसंघों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र और लेखापरीक्षित लेखा प्राप्त किए जाते हैं। साथ ही 1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक का अनुदान प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय खेल परिसंघों का भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षण किया जाता है।

इसके अलावा, खेल प्रशासन में सुशासन के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय रूपरेखा स्थापित करने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 लागू किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, भारत में खेल निकायों के शासन के लिए एक व्यापक वैधानिक रूपरेखा प्रदान करता है। यह अधिनियम ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के सार्वभौमिक सिद्धांतों की स्थापना करता है। यह राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लोकतांत्रिक संचालन, पारदर्शी निर्वाचन, खिलाड़ियों के कल्याण संबंधी उपायों तथा जवाबदेही तंत्र को अनिवार्य बनाता है।

*****